

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

इलाहाबाद, शुक्रवार, 30 अक्टूबर, 1998 ई.
उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अनुभाग-1

सं. 1201/18-1-439 (आर)-70
30 अक्टूबर, 1998 ई.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठसमूह "क") सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—नियम 5 का प्रतिस्थापन—उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1
वर्तमान नियम

5-भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(1) अपर निदेशक उद्योग - मौलिक रूप से नियुक्त उन संयुक्त निदेशक उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी ली हो में से पदोन्नति द्वारा।

(2) संयुक्त निदेशक, उद्योग - मौलिक रूप से नियुक्त उप-निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस की स्थानापन्न में सेवा सहित दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि जहाँ कोई अपर व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र हो और इस रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाय तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायेगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

स्तम्भ 2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(1) अपर निदेशक उद्योग - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी ली हो पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पात्र और अपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, उद्योग की, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को स्थानापन्न सेवा सहित छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

(2) संयुक्त निदेशक, उद्योग-मौलिक रूप से नियुक्त उप-निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में स्थानापन्न में सेवा सहित दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यदि पात्र और उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निदेशक श्रेणी के अधिकारियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को स्थानापन्न सेवा सहित छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र हो और इस रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायेगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

आज्ञा से,
गोविन्दन नायर,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 the Constitution, the Governor is pleased to order, the publication of the following English translation of notification no. 1201/18-1-439(R)-70, dated October 30, 1998:

No. 1201/18-1-439(R)-70

October 30, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh industries (Senior Group 'A') Service Rules, 1991.

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2003R/18-1-182(R)/61 dated 5.6.92

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
INDUSTRIES (1) SECTION**

**NOTIFICATION
Miscellaneous**

**No. 2003 R/18-1-182(R)/61
Dated, Lucknow, 5.6.92**

In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service.

**THE UTTAR PRADESH INDUSTRIES
DEPARTMENT SUBORDINATE SERVICE
RULES, 1992**

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Short title and commencement | 1. | (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service Rules, 1992. |
| Status of the service | 2. | (2) They shall come into force at once.
The Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service comprises Group 'C' posts. |
| Definitions | 3. | In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Appointing Authority" in relation of a post means the authority mentioned at each against each post in column 9 of the Appendix.
(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the constitution.
(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.
(d) "Constitution" means the constitution of India
(e) "Director" means the Director of Industries, Uttar Pradesh
(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh
(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh
(h) "Member of the Service" means a person |

substantively appointed under these rules, or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service

- (i) "Experience" for direct recruitment means experience in State Government or Central Government or public Undertaking or Private Undertaking of repute in connection with the relevant subject or profession
- (j) "Service" means the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service
- (k) "Subordinate Office" means the office subordinate to the Director of Industries, Uttar Pradesh
- (l) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if these are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government
- (m) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year
- (n) "Zonal Officer" means the officer incharge of a zone
- (o) "Zone" means the area specified as such by the Department and placed under the charge of a Zonal Officer

Cadre of Service

- 4. (1) The strength of a service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time
- (2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in the Appendix

Provided that-

- (1) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation, or
- (2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper

Part-III-Recruitment

Source of Recruitment

- 5. Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the sources

as shown against each post in column 7 of the Appendix

- Reservation** 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the order of the Government in force at the time of recruitment.

Part-IV-Qualification

- Nationality** 7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be
- (a) a citizen of India, or
 - (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
 - (c) A person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India
- Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note:

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

- Academic Qualification** 8. A candidate for direct recruitment to the various categories of posts in the service must possess the qualifications and experience as shown against each post in column-8 of the Appendix.

- Preferential Qualification** 9. A candidate who has
- (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

- (ii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.
shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.
- Age** **10.** A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty two years on the fixed day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the commission.
Provided that the upper age limit in the case in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be granted by such number of years as may be specified.
- Character** **11.** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government services. The appointing authority shall satisfy itself on this point.
- Note** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
- Martial Status** **12.** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already eligible for appointment to a post in the service
Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- Physical Fitness** **13.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand Book Volume II, Part III
Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part-V-Procedure for Recruitment

- Determination of Vacancies**
- 14.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.
- Procedure for Direct Recruitment**
- 15.** (1) Application for permission to appear in the interview shall be invited by the commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the commission.
- (2) The commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfill the requisite qualifications, as they consider proper.
- (3) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate. If candidates obtain equal marks, the commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.
- Procedure for recruitment by promotion**
- 16.** (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the relation of the unfit through a Selection Committee constituted as follows:-
- | | | |
|-------|--|-----------------|
| (i) | Additional Director of Industries, Uttar Pradesh (karmik). | Chairman |
| (ii) | Joint Director/ Deputy Director of Industries to be nominated by the Director. | Member |
| (iii) | One officer belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes to be nominated by the Director. | Member |
- (2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) eligibility List Rule 1986, and place

the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper

Provided that while preparing eligibility lists under this sub-rule, where there are two different feeding cadres:-

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay-scale shall be placed higher in the eligibility list

(b) bearing the same pay scale, the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective cadres.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2) and, if it consider necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointing authority.

Combined Select List **17.** If in any year of recruitment appointments are made by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Part-VI-Appointment, Probation, Confirmation and Senior

Appointment **18.** (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and combined lists is prepared in accordance with rule-17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of sincerely as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted, If the appointments are made both by direct recruitment

and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in rule-17.

Probation

19. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period or probation in individual cases, specifying the date up to which the extensions is granted.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his work and conduct reported to be satisfactory

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be

determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

Part-VII-Pay Etcetera

Scales of Pay

- 22.** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as shown against each post in column-3 of the Appendix.

Pay During Probation

- 23.** (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Criteria for Crossing Efficiency bar

- 24.** No person shall be allowed to cross the efficiency bar unless.
(i) he has worked diligently and to the best of his ability
(ii) his work and conduct are found to be satisfactory and
(iii) his integrity is certified.

Part-VIII-Other Provisions

Canvassing

- 25.** No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for

- his candidature will disqualify him for appointment.
- Regulation of Other Matter** **26.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the Rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
- Relaxation from the Conditions of Service** **27.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
- Savings** **28.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in the regard.

By order,

(Brijesh Kumar)
Secretary,
Small Scale Industries

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
INDUSTRIES SECTION-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1376-R/XVIII-1-188-R-89, dated May12, 1993:

No. 1376-R/XVIII-1-188-R-89
May12, 1993:

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed in the Uttar Pradesh Industries Service:

**THE UTTAR PRADESH
INDUSTRIES SERVICE RULES,
1993**

Part-I-General

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Industries Service Rules, 1993.
(2) They shall come into force at one.
2. Status of the service-The Uttar Pradesh Industries Service is State Service comprising Group "A" and "B" posts.
3. Definitions-In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
 - (a) "Appointing authority" in respect of the posts of Deputy Director of Industries, Assistant Director of Industries and Statistical Officer means the Governor and in respect of other posts in the service means the Director;

- (b) "Citizen of India" means a persons who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;
- (c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
- (d) "Constitution" means the constitution of India;
- (e) "Director" means the Director of Industries, Uttar Pradesh;
- (f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
- (g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (h) "Member of the service" means a persons substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
- (i) "Practical Experience" in respect of direct recruitment means practical experience in any State Government or Central Government or Public Under taking or Private Undertaking of repute concerned with the relevant subject;
- (j) "Service" means the Uttar Pradesh Industries Service;
- (k) "Substantive Appointment" means an appointment not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions, issued by the Government;
- (l) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-II-Cadre

4. Cadre of service-(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such

as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix "A",

Provided that-

(1) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(2) the governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part-III-Recruitment

5. Source of recruitment- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources as shown in Appendix "B".

6. Reservation-Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part-IV-Qualifications

7. Nationality-A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

(a) a citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) A person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar)

with the intention of permanently settling in India

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualification-A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the qualifications and experience specified against each post in the Appendix "B".

Preferential Qualification-A candidate who has

(i) the preferential qualification in respect of a post referred in rule 8; or

(ii) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(iii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Age- A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have

attained the age of more than thirty two years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the commission.

Provided that the upper age limit in the case in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be granted by such number of years as may be specified.

11. Character-The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government services. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness-No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass medical examination by a Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part-V-Procedure for Recruitment

14. Determination of Vacancies-The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.

15. Procedure for Direct Recruitment-(i) Application for permission to appear in the interview shall be invited by the commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the commission.

(ii) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(iii) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule-6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by them in the written examination.

(iv) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each

candidates at the written examination and interview and recommend such number of candidate as they consider fit for appointment. If two or more candidate obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.

15-A. Procedure for direct recruitment on the basis of interview- (i) Application for being considered for selection shall be called by the commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the commission.

(ii) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6 call for interview such number of candidates, who fulfill the requisite qualifications as they consider proper.

(iii) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

16-A Procedure for recruitment by promotion through departmental promotion committee- (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the relation

of the unfit through a Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee (for posts outside the purview of the Service Commission) Rules, 1992.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) eligibility List Rule 1986, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper

Provided that while preparing eligibility lists under this sub-rule, where there are two different feeding cadres:-

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay-scale shall be placed higher in the eligibility list

(b) bearing the same pay scale, the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective cadres.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2) and, if it consider necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointing authority.

16-B Recruitment by promotion through Commission- Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in

Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

17. Combined Select List- If in any year of recruitment appointments are made by promotion combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Part-VI-Appointment, Probation, Confirmation and Senior

18. Appointment-(1) Subject to the provision of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and combined lists is prepared in accordance with rule-17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of sincerity as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted, If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in rule-17.

19. Probation-(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period or probation in individual cases, specifying the date up to which the extensions is granted.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20. Confirmation-(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his work and conduct reported to be satisfactory

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary the order

under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

21. Seniority- The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

Part-VII-Pay Etc

22. Scales of Pay-(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay admissible at the commencement of these rules are as given in the Appendix 'A'.

23. Pay During Probation- Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

24. Criteria for Crossing Efficiency bar-(1) No person shall be allowed to cross the efficiency bar unless.

(i) his work and conduct are found to be satisfactory and

(ii) he has worked diligently and to the best of his ability

(iii) his integrity is certified.

Part-VIII-Other Provisions

25. Canvassing- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of Other Matter- In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the Rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation in the Conditions of Service- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding

anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

28. Savings- Nothing in these rules shall affect reservations and other

concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in the regard.

Appendix 'A'
[See Rules 4 (2) and 22]

Sl. No.	Name of the Post	Number of posts			Scale of Pay	Remarks
		Permanent	Temporary	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1	(a) Deputy Director of Industries (General), Chief Statistical Officer, Deputy Registrar Co-operative, Central Controller (Quality Marketing)	8	1	9	Rs. 3000-100-3500-125-4500	
	(b) General Managers (District Industries Centre)	-	63	63	Rs. 3000-100-3500-125-4500	
2	Deputy Director of Industries (Technical), Engineer, Development Officer, Area Development Officer and Chief Metallurgist.	17	2	19	Ditto.	
3	Deputy Director of Industries (Glass and Ceramics)	2	-	2	Ditto.	
4	Deputy Director of Industries (Leather).	1	-	1	Ditto.	
5	Deputy Director of Industries (Central Design Centre)	1	-	1	Ditto.	
6	Deputy Director of Industries (Textiles)	1	-	1	Ditto.	
7	(a) Assistant Director of Industries (General), Statistical Officer.	14	-	14	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	
	(b) Manager (marketing and	-	63	63	Ditto.	

	Economic Investigation)				
	(c) Manager (Credit)	-	63	63	Ditto.
8	Assistant Director of Industries (Technical), Manager (Technology), Project Manager, Engineers (Industrial Estate), Technical Officer, Engineer (Pilot Workshop), Engineering Superintendent (High and Low Tension), Assistant Development Officer (SEI)	20	80	100	Ditto.
9	Assistant Director of Industries (Glass and Ceramics)	5	1	6	Ditto.
10	Assistant Director of Industries (Leather)	1	-	1	Ditto.
11	Assistant Director of Industries (Kiln Engineering)	-	1	1	Ditto.
12	Assistant Director of Industries (Textile Printing)	-	1	1	Ditto.
13	Assistant Director of Industries (Textile Inspection)	1	-	1	Ditto.
14	Assistant Director of Industries (Inspection Wood)	1	-	1	Ditto.
15	Assistant Director of Industries (Pharmaceuticals)	-	1	1	Ditto.
16	Industries Officer (Grade-I) Manager (General), Industries Survey Officer, Sub-Zonal Industries Officer.	43	-	43	Rs. 2000- 60- 2300- EB- 75- 3200
17	Industries Officer (Grade-I) Technical Officer, Manager (Technical), Project Manager, Assistant Engineer, Survey Officer, and Workshop Superintendent.	9	108	117	Rs. 2000- 60- 2300- EB- 75- 3200
18	Industries Officer (Grade-I) (Craft Design)	5	-	5	Ditto.
19	Industries Officer (Grade-II) General, Divisional Superintendent of Industries, Planning Officer, Statistical Officer (P and E), Pilot Project Officer.	31	1	32	Rs. 1600- 50- 2300- EB- 60- 2660
20	Industries Officer (Grade-II)	1	-	1	Ditto.

	Quality Marketing Scheme.					
21	Industries Officer (Grade-II)	1	-	1	Ditto.	
	(Footwear)					
22	Industries Officer (Grade-II)	1	-	1	Rs.	
	(Design)				1640-	
					60-	
					2600-	
					EB-	
					75-	
					2900	

Appendix 'B'
[See Rules 6 and 8]

Sl. No.	Name of the Posts	Source of recruitment	Qualifications prescribed for Remarks direct recruitment		Remarks
			Academic Qualification	Experience	
1	Deputy Director of Industries (General), Chief Statistical Officer, Deputy Registrar Co-operative, Central Controller (Quality Marketing) and General Managers (District Industries Centre)	One third posts by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial numbers 2 to 15 of Appendix 'A' and two-third posts by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 7 to Appendix 'A' and who have completed seven years service including officiating service on the first day of the year of recruitment.			
2	Deputy Director of Industries (Technical), Engineer, Development Officer, Area Development Officer and Chief Metallurgist.	By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 2 to 15 and who have completed seven years service as such including officiating service on the first day of the			

- year of recruitment.
- 3 Deputy Director of Industries (Glass and Ceramics) By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 9 and who have completed seven years service as such including officiating service on the first day of the year of recruitment.
 - 4 Deputy Director of Industries (Leather). By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 10 and who have completed seven years service as such including officiating service on the first day of the year of recruitment.
 - 5 Deputy Director of Industries (Central Design Centre) By promotion from amongst persons who are substantively appointed to-
 - (a) posts mentioned at serial number 12 and who have completed seven year service as such including officiating service; and
 - (b) posts mentioned at serial number 18 and who have completed seven year service as such on the first day of the year of recruitment.
 - 6 Deputy Director of Industries (Textiles) By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 12 and 13 and

- who have completed seven years service as such including officiating service on the first day of the year of recruitment.
- 7 (a) Assistant Director of Industries (General) (i) fifty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of a competitive examination. Essential- A Degree in Arts or Science or Commerce or Engineering or Technology from a University established by Law in India or a Degree recognized by the Government s equivalent there to. Preferential- Master of Business Administration
- (b) Manager (marketing and Economic Investigation) (ii) Fifty percent by promotion.
- (c) Manager (Credit) (a) from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 16 and who have completed three years service as such, on the first day of the year of recruitment. (b) from amongst person who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 19 and who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c) from amongst persons who are substantively appointed to the post of Senior Assistant Manager of the Uttar Pradesh. Industries Department Subordinate Service and who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment

(d) from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department subordinate service and who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>8 Assistant Director of Industries (Technical), Manager (Technology), Project Manager, Engineers (Industrial Estate), Technical Officer, Engineer (Pilot Workshop), Engineering Superintendent (High and Low Tension), Assistant Development Officer (SEI)</p> | <p>(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of a competitive examination.</p> | <p>A Degree in the relevant branch of Engineering or Technology (except a degree in Civil Engineering) from a University established by Law in India, or a degree recognized by the Government as equivalent thereto.</p> | <p>One year in the respective field of Industry</p> |
| | <p>(ii) Fifty percent by promotion through Commission.</p> | | |

(a) from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 17 and who have completed three years service as such, on the first day of the year of recruitment.

(b) from amongst person who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 20 and who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c) from amongst persons who are substantively appointed to the post of Senior Assistant Manager of the Uttar Pradesh. Subordinate Industries Department Service and who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment

(d) from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department subordinate service and who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment

- 9 Assistant Director of Industries (Glass and Ceramics) (i) Fifty percent by direct recruitment through the A Degree in Glass Ceramics or Silicate Three years in Glass/Pottery

Commission on the basis of interview Technology or Industry. M.Tech. in Material/Mineral Science from a recognized University establishment by Law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto.

(ii) Fifty percent by promotion through Commission.

(a) from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 17 and 18, and who have completed three years service as such, on the first day of the year of recruitment.

(b) from amongst person who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 22 and who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c) from amongst persons who are substantively appointed to the post of Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh Subordinate Industries Department Service and who have completed ten years service as such on the first day of the year of

- recruitment
- 10** Assistant Director of Industries (Leather) By promotion from amongst persons possessing a Diploma in Leather Technology or Training.
- (a) who are substantively appointed to post mentioned at serial number 21 and who have completed eight years service, as such on the first day of the year of recruitment.
- (b) who are substantively appointed to the post of Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh Subordinate Industries Department Service and who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment
- 11** Assistant Director of Industries (Kiln Engineering) By promotion from amongst persons who possessing Bachelor's Degree in Science with Physics and Chemistry:-
- (a) who are substantively appointed to the post mentioned at serial number 18 and who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.
- (b) who are substantively appointed to the post of Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh.

- Subordinate Industries Department Service and who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment
- 12** Assistant Director of Industries (Textile Printing) By direct recruitment through the Commission on the basis of interview. A Degree in Textile Engineering or Technology from a University established by Law in India or a Degree recognized by the Government as equivalent there to. Three years in Textile Printing and Design.
- 13** Assistant Director of Industries (Textile Inspection) Ditto.
- 14** Assistant Director of Industries (Inspection Wood) By promotion from amongst persons possessing Diploma in Wood Work:
 (a) who are substantively appointed to the post mentioned at serial number 18 and who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.
 (b) who are substantively appointed to the post of Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh. Subordinate Industries Department Service and who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment
- '15** Assistant Director of Industries (Pharmaceuticals) By direct recruitment through the Commission on the University A Degree in Pharmacy from a University Three years.

- | | | | |
|-----------|--|--|--|
| | | basis of interview | established by Law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto. |
| 16 | Industries Officer (Grade-I) Manager (General), Industries Survey Officer, Sub-Zonal Industries Officer. | By promotion from amongst persons possessing a post-graduate degree in Mathematics or Mathematical Statistics or Statistics:
(a) who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 19 and to the posts of Senior Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed eight years of service, as such, on the first day of the year of recruitment.
(b) who are substantively appointed Assistant Manager (Statistics) of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service, and who have completed ten years of service, as such, on the first day of the year of recruitment. | |
| 17 | Industries Officer (Grade-I) Technical Officer, Manager (Technical), Project Manager, Assistant Engineer, Survey Officer, and Workshop Superintendent. | (i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of competitive examination:

(ii) Fifty percent by | A Bachelors degree including a degree in Engineering from a University established by Law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto. |

promotion through Commission:

(a) from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 19 and who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment;

(b) from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Senior Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment;

(c) from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed eight years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

18	Industries (Grade-I) Design)	Officer (Craft	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of competitive examination: (ii) Fifty percent by	A Diploma in any branch of Engineering or Technology from the Board of Technical Education, Uttar Pradesh or equivalent thereto	3 Years
-----------	------------------------------	----------------	--	---	---------

promotion through Commission from amongst persons:

(a) who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 20 and 21 and who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment;

(b) who are substantively appointed to the posts of Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment;

(c) who are substantively appointed to the posts of Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed eight years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

19 Industries Officer (Grade-II) General, Divisional Superintendent of Industries, Planning Officer, Statistical Officer (P and E), Pilot Project Officer. By promotion from amongst persons:

(a) who are substantively appointed to the posts

mentioned at serial number 22 and who have completed five years of service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(b) who are substantively appointed Senior Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service, and who have completed five years of service, as such, on the first day of the year of recruitment.

20 Industries Officer (Grade-II) (General), Divisional Superintendent of Industries Planning Officer, Statistical Officer (P and E), Pilot Project Officer.

By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the post of Senior Assistant Manager and Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed three years of service, as such, on the first day of the year of recruitment.

21 Industries Officer (Grade-II) (Quality Marketing Scheme) (Technical)

By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the post of Senior Assistant Manager and Assistant Manager of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed three years of service, as such, on the first day of the

- year of recruitment.
- 22** Industries Officer (Grade-II) (Footwear) By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the post of Assistant Managers (Technical) (Research Assistant Leather) of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.
- 23** Industries Officer (Grade-II) (Design) By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Senior Assistant Manager (Technical) of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service and who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.
- 24** Personal Assistant to the Director By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the non-gazetted posts of Administrative Officer and Stenographer in identical pay scale of the Uttar Pradesh Industries Department Ministerial Service and are continuing as such, on the first day of the year of recruitment:
Provided that if suitable eligible candidates are not available for

promotion, the field of eligibility may be extended to include substantively appointed Office Superintendents and Stenographers in the immediately lower scale of pay of the Uttar Pradesh Industries Department Ministerial Service and who have completed fifteen years of service, as such, on the first day of the year of recruitment.

By order,
P.C. Rawal,
Secretary Industries.

Note-Published in the Uttar Pradesh Gazette, dated 10.7.93 Part I-A

Copy forwarded for information:

P.S. U.P.-7 GGonl. (Udhyog)-26-7-'93-500 (M)

उत्तर प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
अनुभाग-1
अधिसूचना
7 अक्टूबर, 1991 ई.

सं. 1510-आर/18-1-439-आर-70-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा
नियमावली, 1991

भाग-एक-सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं।

3-परिभाषाएं-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इन नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) "उप निदेशक श्रेणी अधिकारी" में महाप्रबन्धक, उप निदेशक, उप निदेशक सहकारिता, केन्द्रीय नियंत्रक गुणात्मक विकास योजना, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, अभियन्ता (यान्त्रिक), अभियन्ता (रासायनिक), विकास अधिकारी (लघु अभियंत्रण उद्योग),

विकास अधिकारी (प्राविधिक), विकास अधिकारी (वैद्युत), मुख्य धातु विज्ञानी, विकास अधिकारी (मृदभान्द), विकास अधिकारी (कांत), विकास अधिकारी (चर्म), निदेशक केन्द्रीय परिकल्पना केन्द्र, वस्त्र विशेषज्ञ और उप निदेशक श्रेणी अधिकारी के वेतनमान में कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं।

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य उद्योग, निदेशक, उत्तर प्रदेश से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा से है,

(ज) "सौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो- संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग-(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होती जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) क अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या सरकार उसे आस्थगित रख सकती है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) सरकार ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5-भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:

(1) अपर निदेशक, उद्योग-मौलिक रूप से नियुक्त उन संयुक्त निदेशक, उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा;

संयुक्त निदेशक उद्योग-मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि जहां कोई अवसर व्यक्ति पदोन्नति के लिये पात्र हों और इस

रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाय तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायेगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

6-आरक्षण-अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-भर्ती की प्रक्रिया

7-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) अपर निदेशक के पद के लिए:

(2) मुख्य सचिव अध्यक्ष

(3) प्रमुख सचिव, सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग, यदि कोई हो

(4) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य लघु उद्योग विभाग

(ख) संयुक्त निदेशक के पद के

लिये:

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य

प्रदेश सरकार,
लघु उद्योग
विभाग

- (2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
कार्मिक विभाग
- (3) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश

टिप्पणी—ज्येष्ठ सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अनुसार पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी। इस सूची में अभ्यर्थियों के नामों की संख्या पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक (परन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जायेगी।

भाग—पांच—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण
और ज्येष्ठता

9—नियुक्ति—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथाअवधारित ज्येष्ठता क्रम में या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

10—परिवीक्षा—(1) किसी व्यक्ति की सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भ्रष्टी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

11—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रही हुये किसी

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उनका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बनाया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषित करते हुये दिया गया आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

12—ज्येष्ठता—किसी भी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग—सात—वेतन इत्यादि

13—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

14—परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपलब्ध के होते हुये भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी

कर ली हो और परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भ्जी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु उपनियम (1) और (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में यदि परिवीक्षा अवधि सन्तोष न प्रदान कर सकने के कारण बढ़ायी जाय तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निवेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

15—पक्ष समर्थन—सेवा में पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

16—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विशिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

17—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित

करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के हाते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

18-व्यावृत्ति-इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण या अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट
(नियम 4(2) और नियम 13(2) देखिए)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6
1	अपर निदेशक (उद्योग)	3700- 125- 4700- 150- 5000 रु.	1	2	3
2	संयुक्त निदेशक (उद्योग)	3700- 125- 4700- 150- 5000 रु.	10	1	11

आज्ञा से,
बृजेश कुमार,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक, 25-1-92, भाग 1-क में प्रकाशित।
(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-—)
पी.एस.यू.पी.-35 सा. (उद्योग)-11-2-92-1,000 (मोनो)।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 24 नवम्बर, 1982
अग्रहायण 3, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
उद्योग अनुभाग-1

सं. 5382-आर/18-1-187-आर-62
लखनऊ, 24 नवम्बर, 1982

अधिसूचना

प.आ.-536

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश उद्योग उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982

भाग एक—सामान्य

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की
प्रास्थिति
परिभाषाएं

2-उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा में समूह-ग के पद समाविष्ट हैं।

3-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) किसी पद के सम्बन्ध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 18 में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से हैं;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) निदेशक का तात्पर्य उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) "प्रधान कार्यालय" का तात्पर्य निदेशक के कार्यालय से है;

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त निगमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा से है;

(ञ) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य निदेशक के अधीनस्थ किसी कार्यालय से है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ड) "परिक्षेत्रीय अधिकारी" का तात्पर्य किसी परिक्षेत्र के प्रभारी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक से है;

(ढ) "परिक्षेत्र" का तात्पर्य इस रूप में विनिर्दिष्ट और किसी परिक्षेत्रीय अधिकारी के प्रभाराधीन क्षेत्र से है।

भाग दो-संवर्ग

सेवा की
सदस्य संख्या

4-(1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है-

एक-प्रधान कार्यालय

पद का नाम	स्थायी	अस्थायी
(क) कार्यालय अधीक्षक-ग्रेड-I (625-1360)	: 5	1
(ख) कार्यालय अधीक्षक-ग्रेड-II (570-1100)	: 29	-

(ग)	ज्येष्ठ सहायक (515-860)	:	94	3
(घ)	ज्येष्ठ लिपिक (430-685)	:	97	4
(ङ)	कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ-लिपिक-कम-टंकण (354-550)	:	230	5
(च)	आशुलिपिक (विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध) (625-1360)	:	1	—
(छ)	आशुलिपिक (अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध 570-1100)	:	3	—
(ज)	आशुलिपिक (सेलेक्शन ग्रेड (680-920)	:	9	—
(झ)	आशुलिपिक (सीनियर ग्रेड) (515-860)	:	28	2
(ञ)	आशुलिपिक (जूनियर ग्रेड) (470-735)	:	7	—
	दो-अधीनस्थ कार्यालय			
(ट)	वरिष्ठ सहायक (470-735)	:	40	56
(ठ)	वरिष्ठ लिपिक (430-685)	:	185	170
(ड)	कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक-कम-टंकक (354-550)	:	258	286
(ढ)	आशुलिपिक (470-735)	:	49	168

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; और

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन-भर्ती

5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से भर्ती का स्रोत की जायेगी:—

एक-प्रधान कार्यालय

- (क) कार्यालय अधीक्षक : प्रधान कार्यालय में स्थायी कार्यालय (ग्रेड-1) अधीक्षक (ग्रेड-2) में से पदोन्नति द्वारा।
- (ख) कार्यालय अधीक्षक : प्रधान कार्यालय में स्थायी वरिष्ठ सहायक (ग्रेड-2) में से पदोन्नति द्वारा।
- (ग) वरिष्ठ सहायक : प्रधान कार्यालय में स्थायी वरिष्ठ लिपिक में से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि उपयुक्त पात्र वरिष्ठ लिपिक पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो तो पात्रता क्षेत्र को ऐसे कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक को जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा (अस्थायी सेवा को सम्मिलित करते हुए) की हो, सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- (घ) वरिष्ठ लिपिक : प्रधान कार्यालय में स्थायी कनिष्ठ लिपिक एवं टंककों में से पदोन्नति द्वारा।
- (ङ) कनिष्ठ लिपिक/ : समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक कार्यालय लिपिक वर्ग-कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा:

परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत तक रिक्तियां कार्यालय के हाई स्कूल उत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मचारियों में से भरी जा सकती हैं।

- (च) आशुलिपिक : स्थायी आशुलिपिकों (ज्येष्ठ श्रेणी) में से (विभागाध्यक्ष तथा पदोन्नति द्वारा अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध)
- (छ) आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) : प्रधान कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में स्थायी आशुलिपिकों (कनिष्ठ श्रेणी) में से, संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर जिसे मुख्यालय पर रखा जायेगा, पदोन्नति द्वारा।
- (ज) आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) : सीधी भर्ती द्वारा।
- दो-अधीनस्थ कार्यालय
- (झ) वरिष्ठ सहायक : राज्य के भ्जीतर समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ लिपिक में से पदोन्नति द्वारा।
- (ञ) वरिष्ठ लिपिक : परिक्षेत्र के भीतर समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के स्थायी कनिष्ठ लिपिक एवं टंककों में से पदोन्नति द्वारा।

पद का नाम : भर्ती का स्रोत
 (ट) कनिष्ठ लिपिक/ : समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ
 कनिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय लिपिक-वर्ग कर्मचारी (सीधी
 टंकक भर्ती) नियमावली, 1975 के उपबन्धों के
 अनुसार सीधी भर्ती द्वारा:
 परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने
 पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 15 प्रतिशत
 तक रिक्तियां समय-समय पर जारी किये
 गये सरकारी आदेशों के अनुसार हाई
 स्कूल उत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मचारियों में
 से पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

(ठ) आशुलिपिक (कनिष्ठ : सीधी भर्ती द्वारा।
 श्रेणी)

आरक्षण 6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के
 अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार
 किया जायेगा।

भाग चार-अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि
 अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के
 अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी
 निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी
 देश-केन्या उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती
 तांगानिया/ और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना
 चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया
 हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी
 कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का
 प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो
 पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया
 जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर
 रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसे मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र
 आवश्यक हो, किन्तु न वो वह जारी किया गया हो न देने से इन्कार किया गया
 हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाय और उसे इस शर्त पर
 अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसे

द्वारा प्राप्त कर लिया जाया या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
 8-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है:-

एक-प्रधान कार्यालय

- (क) नैतिक लिपिक एवं टंकक : (एक) समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित अर्हता; और
 (दो) हिन्दी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।
- (ख) आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) : (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 (दो) हिन्दी आशुलिपिक और टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति। अन्य बातों के समान होने पर, अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण भी जानने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायेगी।

दो-अधीनस्थ कार्यालय

- (ग) कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक : (एक) समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित अर्हता; और
 (दो) हिन्दी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।
- (घ) आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) : (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 (दो) हिन्दी आशुलिपिक और टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।

9-अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी की सीधी भर्ती के अधिमानी अर्हतायें मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

- (एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो;
 या
 (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10-(1) कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु समय-समय पर यथासंशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित आयु सीमा के भीतर अवश्य होनी चाहिये।

आयु

(2) सेवा में उप नियम (1) के अन्तर्गत न आने वाले विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर, की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11-सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लें।

चरित्र

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अशुभता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष, अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो:

वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13-किसी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे:

शारीरिक स्वस्थता

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच—सीधी भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

14—नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

कनिष्ठ लिपिक
एवं टंकक के
पद पर भर्ती
की प्रक्रिया
आशुलिपिक
की पदों पर
सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

15— कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक के पद पर भर्ती समय—समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार की जायेगी।

16—(1) आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम—निर्दिष्ट कोई अधिकारी,

(तीन) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अपेक्षा करेगी।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा, प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध करने के पश्चात्, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगी जितने लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसको प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी।

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम और साक्षात्कार का ब्योरा परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

भाग छ: पदोन्नति द्वारा भर्ती

पदोन्नति द्वारा
भर्ती की
प्रक्रिया

17 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, नियम 16 के उप नियम (1) में निर्धारित रीति से गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची

तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो वह समस्त या किन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी

भाग सात—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति
प्राधिकारी

18—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

एक—मुख्यालय

1. कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-1) : अपर उद्योग निदेशक
2. कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-2) : —तदैव—
3. वरिष्ठ सहायक : —तदैव—
4. वरिष्ठ लिपिक : अधिष्ठान के प्रभारी संयुक्त/ उप उद्योग निदेशक (मुख्यालय)
5. कनिष्ठ लिपिक/ कनिष्ठ लिपिक—कम —टंकक : अधिष्ठान के प्रभारी सहायक उद्योग निदेशक (मुख्यालय)
6. आशुलिपिक (विभागाध्यक्ष अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध एवं सेलेक्शन ग्रेड) : अपर उद्योग निदेशक (मुख्यालय)
7. आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) : अपर उद्योग निदेशक (मुख्यालय)
8. आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) : अधिष्ठान के प्रभारी संयुक्त/ उप उद्योग निदेशक (मुख्यालय)

दो—अधीनस्थ कार्यालय

1. वरिष्ठ सहायक : अपर उद्योग निदेशक (मुख्यालय)
2. वरिष्ठ लिपिक : परिक्षेत्रीय अपर/ संयुक्त या उप उद्योग निदेशक और मुख्यालय के बाहर (1250—2050) रूपये या इससे अधिक के वेतनमान के, परिक्षेत्रीय अधिकारियों से गीन, समस्त अधिकारी।
3. आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) : —तदैव—
4. कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक : —तदैव—

19—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या

उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान जयेष्ठता क्रम में किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (1) में उल्लिखित सूचितियों से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचितियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इन नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

20-(1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।

परीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अनन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-किसी परीक्षाधीन व्यक्ति की परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

स्थायीकरण

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त होगा।

ज्येष्ठता

22-(1) प्रत्येक परिक्षेत्र और प्रधान कार्यालय के लिए प्रत्येक श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची क्रमशः परिक्षेत्रीय अधिकारी और उद्योग निदेशक द्वारा रखी जायेगी।

(2) एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर

व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम से, जिसमें उसके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्टपूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 19 के उप नियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेशों में उल्लिखित हो।

(3) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गई हो:

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों से बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

वेतनमान

भाग आठ—वेतन इत्यादि

23. (1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या सीनापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायं

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:—

एक—प्रधान कार्यालय

पद का नाम :	वेतनमान
(क) कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-1)	: रू. 625-30-835-द.रो.-30-925-35-1065-द. रो.-35-1240-द.रो.-40-1360
(ख) कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-2)	: 570-25-770-द.रो.-30-980-द.रो.-30-1100
(ग) वरिष्ठ सहायक	: 515-15-590-18-626-द.रो. -18-680-20-780-द.रो.-20-860
(घ) वरिष्ठ लिपिक	: 430-12-490-15-520-द.रो.-15-640-द.रो. -15-685
(ङ) कनिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ लिपिक-कम -टंकक	: 354-10-424-द.रो.-10-454-12-514-द.रो. -35-1240-द.रो.-40-1360
(च) आशुलिपिक (विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध)	: 625-30-835-द.रो.-30-925-35-1065-द.रो. -35-1240-द.रो.-40-1360
(छ) आशुलिपिक (अतिरिक्त) विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध	: 570-25-770-द.रो.-30-980-द.रो.-30-1100
(ज) आशुलिपिक (सेलेक्शन ग्रेड)	: 680-20-780-द.रो.-20-920
(झ) आशुलिपिक (सीनियर ग्रेड)	: 515-15-590-18-626-द.रो. -18-680-20-780-द.रो.-20-860
(ञ) आशुलिपिक (जूनियर ग्रेड)	: 470-15-575-द.रो.-15-650-17-701-द.रो. -17-735
(ट) वरिष्ठ सहायक	: रू. 470-15-575-द.रो.-15-650-17-701-द. रो.-17-735
(ठ) वरिष्ठ लिपिक	: रू. 430-12-490-15-520-द.रो.-15-640-द. रो.-15-685
(ड) कनिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ लिपिक-कम -टंकक	: रू. 354-10-424-द.रो.-10-454-12-514-द. रो.-12-550
(ढ) आशुलिपिक	: रू. 470-15-575-द.रो.-15-650-17-701-द. रो.-17-735

24—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परिवीक्षा अवधि में
वेतन

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर रूकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निवेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—(1) किसी कार्यालय अधीक्षक को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय।

दक्षतारीक पार
करने का मापदंड

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत न आने वाले व्यक्ति की—

(क) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(ख) द्वितीय तथा तृतीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग नौ—अन्य उपबन्ध

26—किसी पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे, लिखित हो, या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

पक्ष समर्थन

27—ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अन्य विषयों का
विनियमन

28—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में सिकी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति में कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

29—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

आशुलिपिक के पद के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय के लिये अधिकतम अंक निम्नलिखित हैं:-

लिखित प्रश्न पत्र	:	अधिकतम अंक
(1) आशुलिपिक (हिन्दी)	:	100
(2) टंकण (हिन्दी)	:	50
(3) हिन्दी निबन्ध	:	50
मौखिक परीक्षा		
(क) व्यक्तित्व	:	25
(ख) सामान्य ज्ञान और उपयुक्तता	:	25

2—आशुलिपिक की परीक्षा में पांच मिनट तक हिन्दी के गद्यांश का श्रुतलेख 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जायेगा। श्रुतलेख की आशुलेखन की अनुलिपि और इन्हें टंकित करने के लिये एक घंटे का समय दिया जायेगा। गद्यांश का चयन केवल अभ्यर्थियों की आशुलिपि में गति का परीक्षण करने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उनके अच्छी और मुहावरेदार हिन्दी के ज्ञान के परीक्ष की दृष्टि से भी किया जायेगा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को सेवायोजन के लिये अर्ह नहीं समझा जायेगा जिसकी परीक्षा में त्रुटियों का प्रतिशत 5 से अधिक हो।

3. हिन्दी निबन्ध दो घंटे का होगा। अभ्यर्थियों से किसी विषय पर पत्र या निबन्ध लिखने की अपेक्षा की जायेगी।

आज्ञा से,
सुमन कुमार माडवेल,
सचिव।

Appendix

Sl. no.	Name of the year	Scale of Pay	Number of posts			Source of Recruitment	Academic qualification/ experience	Appointing authority	Remarks
			Perma- nent	Tempo- rary	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Senior Assistant Manager which include the following posts:-	Rs. 2600-50-2300-60-2660				By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial member 2 and who have completed three year service as such on the first day of the year of recruitment.	-	Director	
(i)	Statistical Investigator		2	3	5				
(ii)	Documentation Assistant		1	-	1				
2.	(a) Assistant Manager, which include the following posts:-	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2000				(i) 50% of the posts by direct recruitment through the Commission. (ii) 40% posts by promotion from amongst persons who are substantively appointed at serial number 3, 4 and 5 who have completed five years, eight years and eleven years service respectively, as such, on the first day of the year of recruitment.	A degree from a University establisher by Law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto. Provided that for the post of Assistant	Additional Director of Industries, Uttar Pradesh (karmik).	
(i)	Assistant Manager.		-	484	484				
(ii)	Cooperative Credit Officer.		-	56	56				
(iii)	Promotional Assistant.		-	56	56				
(iv)	Legal Assistant.		1	-	1				

(v)	Extension Officer.		1	-	1	(iii) 6% by promotion from amongst persons who are substantively appointed Varishta Sahayak (Headquarters) and Stenographers (Senior Scale) of the Uttar Pradesh Industries Department Ministerial Service who have completed eleven years service, as such, on the first day of the year of recruitment. (iv) 4% by promotion from amongst persons substantively appointed Head Clerks of the Uttar Pradesh Industries Department Ministerial Service who have completed eleven years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	Manager (legal Assistant) A Bachelor's Degree in Law shall be required.	
2.	(b) Assistant Manager (Statistics) which includes the following posts:-	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2000				-do-	A degree from a University established by Law in India with Mathematics or Statistics or Mathematical Statistics.	Additional Director of Industries, Uttar Pradesh (karmik).
(i)	Senior Investigator		23	56	79			
(ii)	Budget and Planning Assistant.		-	1	1			

(iii)	Research Assistant	-	1	1		
3.	Industries Superintendent, which includes the following posts:-	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2400			By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 4 and 5 who have completed five years and eight years service4 respectively, as such, on the first day of the year of recruitment.	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh.
(i)	Superintendent	39	1	40		
(ii)	Examiner	7	-	7		
(iii)	Research Assistant	3	-	3		
(iv)	Assistant Manager (Hills)	1	-	1		
(v)	Depot Manager (Hills)	3	-	3		
(vi)	Production Manager (Hills)	3	-	3		
(vii)	Librarian	1	-	1		
4.	Industrial Examiner Grade I which includes the following posts:-				By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 5 and who have completed three years service as such, on the 1 st day of the year of recruitment	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(i)	Research Assistant	2	-	2		
(ii)	Assistant Manager (Hills)	-	1	1		
(iii)	Depot Incharge (Hill Scheme)	5	-	5		
(iv)	Production Manager (Hill Scheme)	2	-	2		

5.	Industrial Examiner Grade II which includes the following posts:-				(i) 75% of the posts by direct recruitment through the commission. (ii) 25% of the posts by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 6 and who have completed five years service, as such, on the 1 st day of the year of recruitment. Provided that for the promotion to the posts of Investigator-cum-Enumerator only graduates with Mathematics or Statistics or Mathematical Statistical shall be eligible	A Bachelor's degree from a University established by Law in India, provided that for the post of Investigator-cum-Enumerator a Bachelors degree with Mathematics or Statistics or Mathematical Statistics shall be required. Provided further that for the post of powerloom Inspector, diploma in Textiles will be a preferential qualification.	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(i)	Inspector (Loans and Grants)	2	-	2			
(ii)	Publicity Assistant	1	-	1			
(iii)	Technical Assistant	-	2	2			
(iv)	Powerloom Inspector	-	56	56			
(v)	Publicity Inspector (Quality Marketing Scheme)	2	-	2			
(vi)	Assistant Industries Officer	175	-	175			
(vii)	Investigator-cum-Enumerator	82	332	414			
(viii)	Assistant Librarian (Headquarters)	1	-	1			

(ix)	Librarian		1	1	2		Provided also that for the posts of Librarian and Assistant Librarian a certificate in Library Science will be a preferential qualification	
6.	Industrial Supervisor, which includes the following posts:-	Rs. 975-25-1150-EB-30-1000				By direct recruitment through the commission	A degree from a University established by Law in India or a degree recognised by the Government as equivalent there.	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(i)	Cooperative Supervisor-cum-Industrial Supervisor		-	112	112		Provided this for the posts of Cooperative Supervisor-cum-Industrial Supervisors candidates having training in cooperation will be preferred	
(ii)	Field Organizer		1	-	1			
(iii)	Supervisor (Industries)		2	-	2			
	Supervisor-cum-Accountant		54	-	54			
7.	Senior Auditor	Rs. 1400-40-1600-50-2300-	5	48	53	By promotion form amongst persons who are substantively appointed to the posts		Additional Director of Industries

		EB-60-2600				mentioned at serial number 8 and who have completed ten years services, as such, on the first day of the year of recruitment.		(Karmik) Uttar Pradesh
8.	Auditor	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	47	-	47	By direct recruitment through the commission	A Bachelor's degree in commerce with Audic/Accountancy from a University established by Law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto.	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
9.	Senior Assistant Manager (Technical), which includes the following posts:-	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660				By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 10 and who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.		Director
(i)	Superintendent (Quality Marketing Scheme)		10	-	10			
(ii)	Senior Foreman (Glass/Pottery)		1	-	1			
(iii)	Mechanical Foreman (Pottery)		-	1	1			

(iv)	Extension Officer (Textile Technology)	-	1	1			
(v)	Technical Assistant (Glass)	1	-	1			
(vi)	Assistant Engineer (Pottery)	1	-	1			
(vii)	Research and Processing Assistant (Pottery)	-	1	1			
(viii)	Extension Officer (Pottery)	-	1	1			
10.	Assistant Manager (Technical) which includes the following posts:-	Rs. 1400- 40-1600- 50-2300- EB-60- 2600			(i) 50% by direct recruitment through the commission (ii) 50% by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 11 and who have completed five years services, as such, on the first day of the year of recruitment.	A diploma in the specific branch or trade according to requirements of each post from the Board of chemical, prudential, electrical, Textile, Chemistry wood, Leather, ----- from the Board of Traditional ---	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(i)	Junior Inspecting Officer (Mechanical) store purchase	1	-	1			
(ii)	Technical Assistant (pottery)	1	-	1			
(iii)	Workshop Foreman (Extension)	4	-	4			
(iv)	Foreman Technical, Small Industries	2	-	2			

(v)	Sample Room Incharge (Mechanical)	2	-	2
(vi)	Estimator (Small Industries)	1	-	1
(vii)	Foreman (Small Scale Industries)	2	-	2
(viii)	Junior Inspecting Officer (Electrical)	1	-	1
(ix)	Sample Room Incharge (Electrical)	2	-	2
(x)	Technical Assistant (Chemical)	2	-	2
(xi)	Sample Room Incharge (Mechanical)	2	-	2
(xii)	Chemist (Small Scale Industries)	2	-	2
(xiii)	Junior Inspecting Officer (Textiles)	1	-	1
(xiv)	Research Assistant (Leather)	1	-	1
(xv)	Junior Inspecting Officer (Wood)	1	-	1
(xvi)	Technical Assistant (Glass and Ceramics)	1	-	1

(xvii)	Research Assistant (Ceramics)		2	-	2		
(xviii)	Officer Incharge (Crafts Museum)		1	-	1		
(xix)	Research Assistant (Glass)		1	-	1		
11.	Industries Superintendent (Technical) which includes the following posts:-	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2400				By promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 12 and who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(i)	Examiner (Mechanical)		1	-	1		
(ii)	Superintendent (Quality Marketing Scheme)		16	7	23		
(iii)	Foreman-cum-Smith		-	1	1		
(iv)	Master Craftsman-cum-Foreman (Mechanical)		-	1	1		
(v)	Examiner (Electrical)		3	-	3		
12.	Industries Examiner Grade-I (Technical) which includes the following posts:-	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300				(i) 50% by direct recruitment through the commission (ii) 50% by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the	A diploma in the specific branch or trade according to requirements of each post from Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh

(i)	Examiner (Quality Marketing Scheme)	38	-	38	posts mentioned at serial number 13 and who have completed five years services, as such, on the first day of the year of recruitment.	the Board of Technical Education, Uttar Pradesh or equivalent
(ii)	Foreman	25	-	25		
(iii)	Assistant Manager (Industrial Estates)	22	-	22		
(iv)	Junior Engineer	1	-	1		
(v)	Chemist (Quality Marketing Scheme)	1	-	1		
(vi)	Assistant Production Superintendent (Hills)	1	-	1		
(vii)	Craftsman (Dyeing and Weaving) (Hills)	2	-	2		
(viii)	Senior Craftsmen	5	-	5		
(ix)	Trade Tester (Tailoring)	1	-	1		
(x)	Technical Assistant (Glass)	2	-	2		
(xi)	Analyst (Glass)	1	-	1		
(xii)	Furnace Assistant (Glass)	1	-	1		
(xiii)	Laboratory Assistant (Glass)	4	-	4		
(xiv)	Technical Designer	1	-	1		

(xv)	Artist-cum-Designer		1	1	2		
(xvi)	Commercial Artist		1	-	1		
(xvii)	Decoration Artist/Glass		1	-	1		
13.	Industries Examiner Grade-II (Technical) which includes the following posts:-	Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040				(i) 75% by direct recruitment through the commission (ii) 25% by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 14 and who have completed five years services, as such, on the first day of the year of recruitment.	A certification in the specific branch or trade according to requirement of each post from the recognized Industrial Training Institutes or equivalent
(i)	Trade Tester		15	-	15		Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(ii)	Instructor (Extension/ PWS)		83	-	83		
(iii)	Draughtsman		12	-	12		
(iv)	Technical Assistant		10	3	13		
(v)	Technician Production		1	-	1		
(vi)	Craftsman		2	-	2		
(vii)	Modeler and Designer		3	-	3		
14.	Industries Supervisor (Chemical) which includes the following posts:-	Rs. 975-25-1150-EB-30-1660				(i) 50% by direct recruitment through the commission (ii) 50% by promotion from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 15 and who have completed five years services, as such, on the first day of the	A certification in the specific branch or trade according to requirement of each post from the recognized Industrial Training
(i)	Instructor		42	2	44		Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(ii)	Foreman		-	4	4		
(iii)	Mechanic		1	1	2		
(iv)	Mistry		1	-	1		

(v)	Technical Assistant (Polish/Paint) (Hills)	1	-	1	year of recruitment.	Institutes or equivalent
(vi)	Polisher (Hills)	1	-	1		
(vii)	Junior Craftsman	8	1	9		
(viii)	Dyer (Hill Schem)	-	1	1		
(ix)	Supervisor Knitting-Weaving	6	-	6		
(x)	Block Maker	1	-	1		
(xi)	Assistant Superintendent (Museum)	1	-	1		
(xii)	Assistant Librarian (Headquarters)	1	-	1		
15.	Industries Assistant which includes the following posts:-	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500			By direct recruitment through the commission	A certificate in the requisite Trade according the requirements of each post from a recognized Industrial Training Institute.
(i)	Weave	25	-	25		Additional Director of Industries (Karmik) Uttar Pradesh
(ii)	Foreman (Pottery)	5	-	5		
(iii)	Mistri	4	-	4		
(iv)	Wood Grader	2	-	2		
(v)	Dyer	-	1	1		
(vi)	Hosiery Instructor	3	-	3		
(vii)	Junior Craftsman (Wood)	-	2	2		

(viii)	Laboratory Assistant (Leather)	2	-	2
(ix)	Boring Machine Operator	2	-	2
(x)	Model Sharing Instructor	1	-	1
(xi)	Inspector Firing	6	-	6
(xii)	Master Potter	1	-	1
(xiii)	Mechanic	2	-	2
(xiv)	Skilled Artisan	2	-	2
(xv)	Jal Charkhi Operator	20	-	20
(xvi)	Molder Pottery	-	2	2
(xvii)	Boiler Attendent	1	-	1

By order,
(Brijesh Kumar)
Secretary,
Small Scale Industries.

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या 1175/02/473-उद्योग/2002
देहरादून, दिनांक, 14 मार्च, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिकरण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा (उद्योग विभाग) नियमावली, 2007

भाग एक – सामान्य

- | | | |
|-------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1- | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “ <u>उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा (उद्योग विभाग) नियमावली, 2007</u> ” है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रास्थिति परिभाषायें | 2- | उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा (उद्योग विभाग) एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह “ग” के पद समाविष्ट हैं। |
| | 3- | जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से परिशिष्ट “क” के स्तम्भ 10 में प्रत्येक पद के सामने इस रूप में उल्लिखित अधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) “भारत का नागरिक” से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;
(ग) “संविधान” से “भारत का संविधान” अभिप्रेत है;
(घ) “निदेशक” से निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ङ) “सरकार” से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) “राज्यपाल” से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) “सेवा का सदस्य ” से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) “सेवा” से उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;
(झ) “मौलिक नियुक्ति” से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार |

चयन के पश्चात की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ट) अपर निदेशक" से अपर निदेशक उद्योग मुख्यालय अभिप्रेत है।

(ठ) संयुक्त निदेशक से, संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक) अभिप्रेत है।

भाग दो – संवर्ग

- सेवा की
सदस्य
संख्या
- 4— (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" के स्तम्भ 5, 6 एवं 7 में दी गई है:-
परन्तु—
(एक) नियुक्ति अधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन – भर्ती

- भर्ती का
श्रोत
आरक्षण
- 5— सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती, परिशिष्ट "क" के स्तम्भ 8 में प्रत्येक पद के सामने दर्शाये गये श्रोतों से की जायेगी।
- 6— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार— अर्हतायें

- राष्ट्रीयता
- 7— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी —
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा (म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;
परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा

जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण –पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

- | | | |
|-----------------------|-----|---|
| शैक्षिक
अर्हतायें | 8– | सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट "क" के स्तम्भ 9 में प्रत्येक पद के सामने दर्शायी गयी अर्हता और अनुभव हो। |
| अधिमान
अर्हतायें | 9– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने –
(एक) नियम 8 में दिये गये विवरण के अनुसार व्यवहारिक अनुभव, प्राप्त किया हो, या
(दो) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण –पत्र प्राप्त किया हो। |
| आयु | 10– | सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थी की आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। |
| चरित्र | 11– | सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।
टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। |
| वैवाहिक
प्रास्थिति | 12– | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक |

- पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों;
परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
- शारीरिक 13- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच – भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों की 14- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत सेवा नियमावली के अनुसार, अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।
- सीधी भर्ती 15- (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:
(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
(3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
(4) (एक) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों

व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यथास्थिति तकनीकी विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (।दूमत ौममज) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (।दूमत ज़मल) को उत्तराखण्ड की बैबसाईटू ण्णदपबण्णद या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) किसी ऐसे पद पर, जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथा स्थिति तकनीकी परीक्षा ली जायेगी। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी, तकनीकी परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रख जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन
समिति का
गठन

16-

(1) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी

अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई

सदस्य

अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

- (चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य
- (पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। सदस्य
- फीस 17- चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन 18- (1) जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक व तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाइट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
(2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छंटनीशुदा कर्मचारी के अंकों को तथा यथास्थिति तकनीकी परीक्षा के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में ;कमेबमदकपदह व्तकमतद्ध उत्तराखण्ड की वैबसाइट ूणेण्दपबण्णपद पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
- अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण 19- अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर भाग-5 के अनुसार चयन समिति द्वारा अपनायी गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेंगी।
- पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 20- (1) सेवा में विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, निम्नानुसार, चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी:
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष
(दो) संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक में से, निदेशक उद्योग InL; द्वारा नामित एक अधिकारी
(तीन) निदेशक उद्योग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति InL; का अधिकारी
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे

अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा;

परन्तु इस उप नियम के अधीन पात्रता सूचियों तैयार करते समय, जहां दो भिन्न पोषक संवर्ग हों, वहां –

(क) भिन्न-भिन्न वेतनमानों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

(ख) समान वेतनमानों की स्थिति में, अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति, उपनियम-2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर, अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता के क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 21- यदि किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें, अभ्यर्थियों के नाम संगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ: नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति प्राधिकारी 22- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी, परिशिष्ट "क" के स्तम्भ 10 में प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित है।

नियुक्ति 23- (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की उस क्रम में, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 20 या 21, (जैसी स्थिति हो), के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 21 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, ऐसी रिक्तियों में, नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये, या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, की जायेगी।

(4) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथा स्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा

- कि उस संवर्ग में से जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।
- परिवीक्षा 24— (1) सेवा में किसी स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर, प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
 (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी न जाये;
 परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक, किन्तु किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
 (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवाक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
 (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
 (5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर, स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को, परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।
- स्थाईकरण 25— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसके नियुक्ति में, स्थायीकरण, उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- ज्येष्ठता 26— किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण, अपर निदेशक उद्योग द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता निमावली, 2002" अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग सात – वेतन इत्यादि

- वेतनमान 27— (1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
 (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट "क" के स्तम्भ 4 में प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित हैं।
- परिवीक्षा 28— (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन

अवधि में
वेतन

व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन 29— किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, , चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन 30— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों के द्वारा नियन्त्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता 31— यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
- स्थानान्तरण 32— सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदाधिकारियों को नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक उद्योग द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- व्यावृत्ति 33— इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य

रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1175(1)/02/473-उद्योग/2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव-मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-“क”
(नियम 3(क), 4(2) 5, 8 22 एवं 27(2) देखिए)

क्र. सं.	पदनाम	पद का स्वरूप तकनीकी / गैरतकनीकी	वेतनमान (रूमयों में)	पदों की संख्या			भर्ती का श्रोत	शैक्षिक अर्हता / अनुभव	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्ति
				स्थाई	अस्थाई	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सांख्यिकीय सहायक जिसमें निम्न लिखित पद सम्मिलित होंगे:- (1) सांख्यिकीय अनुसंधानकर्ता (2) सांख्यिकीय सहायक	गैरतकनीकी	5500-175-9000	1 13	- -	1 13	अन्वेषक-सह-संगणक वेतनमान रु. 5000-8000 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा।	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि, जिसमें गणित या सांख्यिकीय या गणितीय सांख्यिकीय एक विषय रहा हो या अर्थशास्त्र विषय में सांख्यिकीय सहित स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-
2.	(1) सहायक प्रबन्धक उद्योग (2) सहायक विकास अधिकारी (प्रथम)	गैरतकनीकी	5000-150-8000	44 13	- -	44 13	(1) 50 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) 15 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय) वेतनमान रु. 4500-7000 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-

							के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। (3) 20 प्रतिशत पद, निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक, उत्तराखण्ड उद्योग विभाग लिपिक संवर्ग के मुख्य सहायक वेतनमान रु. 4500-7000 पद पर स्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों तथा 15 प्रतिशत पद, निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक, आशुलिपिक वेतनमान 4000-6000 पद पर स्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को लिपिक संवर्ग में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।			
3.	अन्वेषक –सह–संगणक	गैरतकनीकी	5000-150-8000	19	—	19	(1) 50 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) 15 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय) वेतनमान रु. 4500-7000 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि, जिसमें गणित या सांख्यिकीय या गणितीय सांख्यिकीय एक विषय रहा हो या अर्थशास्त्र विषय में सांख्यिकीय सहित स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके	अपर निदेशक उद्योग	—

							(3) 15 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक वेतनमान रु. 3200-4900 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा। (4) 20 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक, उत्तराखण्ड उद्योग विभाग लिपिक संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त पद धारक, जिनके पद के साधारण वेतनमान रु. 4500-7000 / 4000-6000 हों तथा जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को लिपिक संवर्ग में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा।	समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।		
4.	सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय)	गैरतकनीकी	4500-125-7000	13	-	13	(1) 50 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) 30 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षिक योग्यताधारक औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक वेतनमान रु. 3200-4900 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा	सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय) के पद हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई	अपर निदेशक उद्योग उत्तराचल	-

							पूर्ण कर ली।, में से पदोन्नति द्वारा। (3) 20 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक, उत्तराखण्ड उद्योग विभाग लिपिक संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त पद धारक, जिनके पद के वेतनमान रु. 4000-6000 हों तथा जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को लिपिक संवर्ग में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा।	उपाधि		
5.	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक	गैरतकनीकी	3200-85-4900	15	-	15	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1-विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। 2-सहकारिता में न्यूनतम छःमाह का प्रशिक्षण।	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-
6.	(1) फौरमैन (प्रसार योजना) (2) आफीसर इंचार्ज (पापड़ी योजना)	तकनीकी	5000-150-8000	02 -	- 01	02 01	(1) 50 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भती द्वारा। (2) 50 प्रतिशत अधीक्षक उत्पादन वेतनमान रु. 4500-7250 के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक, जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,	प्रत्येक पद की अपेक्षा अनुसार अर्थात यांत्रिक, विद्युत, काष्ट शिल्प में विधि द्वारा स्थापित किसी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या समकक्ष।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-

							में से पदोन्नति द्वारा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पदोन्नति हेतु कार्मिक सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित न्यूनतम तकनीकी / व्यवसायिक अर्हता अथवा पद के अनुरूप कार्य का न्यूनतम 5 वर्षों का विभागीय अनुभव रखता हो।			
7.	अधीक्षक उत्पादन (पापड़ी योजना)	तकनीकी	4500-125-7250	01	-	01	वरिष्ठ प्रशिक्षक / डिजायनर / जू0क्रॉफ्ट्स मैन वेतनमान रु. 4500-7000 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पदोन्नति हेतु कार्मिक सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित न्यूनतम तकनीकी / व्यवसायिक अर्हता अथवा पद के अनुरूप कार्य का न्यूनतम 5 वर्षों का विभागीय अनुभव रखता हो।	-	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-
8.	(1) सहायक प्रबन्धक (औद्योगिक आस्थान) (2) वरिष्ठ प्रशिक्षक (3) डिजायनर (4) जू0 क्रॉफ्ट्स मैन	तकनीकी	4500-125-7000	04	-	04	(1) 50 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) 50 प्रतिशत पद प्रशिक्षक सिलार्ड / पालिस अनुदेशक वेतनमान रु. 3200-4900 के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों, जिन्होंने भर्ती	प्रत्येक पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में विधि द्वारा स्थापित किसी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या समकक्ष।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-

							वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पदोन्नति हेतु कार्मिक सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित न्यूनतम तकनीकी / व्यवसायिक अर्हता अथवा पद के अनुरूप कार्य का न्यूनतम 5 वर्षों का विभागीय अनुभव रखता हो।			
9.	(1) प्रशिक्षक सिलाई (2) पालिस अनुदेशक	तकनीकी	3200-85-4900	- 01	01 -	01 01	(1) 50 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) 50 प्रतिशत पद कनिष्ठ शिक्षक सिलाई / मास्टर क्राफ्टमैन / मशीन इंचार्ज वेतनमान रु. 3050-4590 के पदों पर मोलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पदोन्नति हेतु कार्मिक सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित न्यूनतम तकनीकी / व्यवसायिक अर्हता अथवा पद के अनुरूप कार्य का न्यूनतम 5 वर्षों का विभागीय अनुभव रखता हो।	प्रत्येक पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र या समकक्ष।	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-
10.	(1) कनिष्ठ शिक्षक सिलाई	तकनीकी	3050-75-3950- 80-4590	- -	02 04	02 04	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रत्येक पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में	संयुक्त निदेशक	-

	(2) मास्टर क्राफ्ट्स मैन (3) मशीन इंचार्ज			—	04	04		मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र या समकक्ष।	उद्योग (कार्मिक)	
11.	आर्ट डिजाइनर	तकनीकी	5000-150-8000	01	—	01	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1- अनिवार्य शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता:- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से व्यवसायिक या ललित कला या टेक्सटाईल डिजाइनिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा। 2- अधिमानी- 1- कम्प्यूटर एडेड (CAD) डिजाइनिंग का कार्य अनुभव। 2- टेक्सटाईल डिजाइनिंग में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	—
12.	डिजाइन आर्टिस्ट	तकनीकी	5000-150-8000	01	—	01	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1- अनिवार्य शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता:- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से व्यवसायिक या ललित कला या टेक्सटाईल डिजाइनिंग में डिग्री	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	—

								अथवा डिप्लोमा। 2- अधिमानी- 1- कम्प्यूटर एडेड (CAD) डिजाईनिंग का कार्य अनुभव। 2- टैक्सटाईल डिजाईनिंग में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।		
13.	डाईंग अधीक्षक	तकनीकी	4500-125-7000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त सीनियर इंस्ट्रक्टर/मास्टर स्क्रीन प्रिंटिंग /रंगाई शिक्षक /रंगाई बुनाई गाईड वेतनमान रू. 4000-6000, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो मे से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1- अनिवार्य- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से वस्त्र प्राद्यौगिकी या बुनाई प्राद्यौगिकी या हथकरघा प्राद्यौगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष 2- अधिमानी- सम्बन्धित क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-
14.	मास्टर डायर	तकनीकी	4500-125-7000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त सीनियर इंस्ट्रक्टर/मास्टर स्क्रीन प्रिंटिंग /रंगाई शिक्षक /रंगाई बुनाई गाईड/ डायर, वेतनमान रू. 4000-6000, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा; परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न	1- अनिवार्य- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से वस्त्र प्राद्यौगिकी या बुनाई प्राद्यौगिकी या हथकरघा प्राद्यौगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष 2- अधिमानी- सम्बन्धित क्षेत्र में व्यवहारिक	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-

							होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	अनुभव।		
15.	परीक्षक छपाई	तकनीकी	4500-125-7000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त सीनियर इंस्ट्रक्टर/मास्टर स्क्रीन प्रिंटिंग वेतनमान रु. 4000-6000, जिन्होंने इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1- अनिवार्य- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से वस्त्र प्राद्यौगिकी या बुनाई प्राद्यौगिकी या हथकरघा प्राद्यौगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष 2- अधिमानी- सम्बन्धित क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-
16.	परीक्षक वस्त्र	तकनीकी	4500-125-7000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त सीनियर इंस्ट्रक्टर/मास्टर स्क्रीन प्रिंटिंग वेतनमान रु. 4000-6000, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1- अनिवार्य- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से वस्त्र प्राद्यौगिकी या बुनाई प्राद्यौगिकी या हथकरघा प्राद्यौगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष 2- अधिमानी- सम्बन्धित क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव।	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-
17.	मास्टर वीवर	तकनीकी	4500-125-7000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त सीनियर इंस्ट्रक्टर/मास्टर स्क्रीन प्रिंटिंग, वेतनमान रु. 4000-6000, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा।	1- अनिवार्य- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से वस्त्र प्राद्यौगिकी या बुनाई प्राद्यौगिकी या हथकरघा प्राद्यौगिकी में डिप्लोमा या	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	-

							परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	समकक्ष 2- अधिमानी- सम्बन्धित क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव।		
18.	सीनियर इंस्ट्रक्टर	तकनीकी	4000-100-6000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त क्राफ्टसमैन/मशीनिष्ठ /मिस्त्री, वेतनमान रु. 3200-4900, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1- अनिवार्य- विधि द्वारा स्थापित संस्थान से वस्त्र प्राद्यौगिकी या बुनाई प्राद्यौगिकी या हथकरघा प्राद्यौगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष 2- अधिमानी- सम्बन्धित क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव।	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-
19.	मास्टर स्क्रीन प्रिंटिंग	तकनीकी	4000-100-6000	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त क्राफ्टसमैन/मशीनिष्ठ /मिस्त्री वेतनमान रु. 3200-4900 जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र या समकक्ष।	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-
20.	क्राफ्टसमैन	तकनीकी	3200-85-4900	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त ब्यूवर, वेतनमान रु. 3050-4590 जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा।	पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-

							परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र या समकक्ष।		
21.	मशीनिष्ट / मिस्त्री	तकनीकी	3200-85-4900	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त वायलर मैन, वेतनमान रु. 3050-4590, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र या समकक्ष।	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-
22.	व्यूवर	तकनीकी	3050-75-3950-80-4590	02	-	02	मौलिक रूप से नियुक्त रंगाई सहायक, वेतनमान रु. 2750-4400, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र या समकक्ष।	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-
23.	व्यायलर मैन	तकनीकी	3050-75-3950-80-4590	01	-	01	मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक, वेतनमान रु. 2750-4400, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से पदोन्नति द्वारा।	पद की अपेक्षा अनुसार सम्बन्धित ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त	संयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	-

						परन्तु उपयुक्त पद धारक उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	संस्थान से डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र या समकक्ष।		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव।



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-3} रुड़की शनिवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2002 ई. (अग्रहायण 23, 1924 शक सम्वत्)
{संख्या-50

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गये हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु.
भाग 1-	सम्पूर्ण गजट का मूल्य विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	401-423	
भाग 1-	क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया		
भा 2-	आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण		
भाग 3-	स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	17-29	
भाग 4-	निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल		
भाग 5-	एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल		
भाग 6-	बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये तांगी सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7-	इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां		
भाग 8-	सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	55	

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास विभाग

अधिसूचना

07 नवम्बर, 2002 ई.

संख्या 3471/2002/479-उद्योग/2001-चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक और समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगी:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(क) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जायेगा।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां-जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. मूल नियमावली के नियम 3 (ख) के स्थान पर "उप निदेशक श्रेणी अधिकारी में उप निदेशक उद्योग व महा प्रबन्धक वेतनमान के अधिकारी सम्मिलित है" प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

4. मूल नियमावली के नियम 8 (1) के (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

संयुक्त निदेशक उद्योग के पद के लिए—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग सदस्य
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, कार्मिक विभाग सदस्य
 3. शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का वरिष्ठ अधिकारी सदस्य
 4. अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल सदस्य—संयोजक
- टिप्पणी:— ज्येष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

5. मूल नियमावली के वर्तमान “परिशिष्ट” के स्थान पर निम्नलिखित “परिशिष्ट” रख दिया जायेगा:—

“परिशिष्ट”
(नियम 4(2) और नियम 13(2) देखिए)

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों का विवरण		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1.	अपर निदेशक उद्योग, उद्योग, उत्तरांचल	14300-400-18300	1	—	1
2.	संयुक्त निदेशक, उद्योग	12000-375-16500	2	—	2

07 नवम्बर, 2002 ई.

संख्या 3472/2002/479—उद्योग/2001—चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक और समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं

कि उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1993, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधधीन लागू रहेगी:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—
 - (क) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जायेगा।
 - (ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।
2. उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां-जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।
3. मूल नियमावली के नियम 3 (क) के स्थान पर "सेवा में किसी पद के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य परिशिष्ट "ख" के स्तम्भ 6 में उल्लिखित प्राधिकारी से है" प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।
4. मूल नियमावली के नियम 6 के स्थान पर "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा" रख दिया जायेगा।
5. मूल नियमावली के नियम 10 में सीधी भर्ती हेतु उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष के सीन पर 35 वर्ष पढ़ी जायेगी।
6. मूल नियमावली के नियम 15 (क) का निरसित समझा जायेगा।
7. मूल नियमावली के नियम 16 (क) के उप नियम (1) के बाद निम्न टिप्पणी पढ़ी जायेगी—
टिप्पणी:- "चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

8. मूल नियमावली के नियम 19 (3) के स्थान पर "यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं" पढ़ा जायेगा।
9. मूल नियमावली के नियम 20 (1) के खण्ड "ग" को निरसित समझा जायेगा।
10. मूल नियमावली के नियम 22 (2) के स्थान पर 'इस संशोधन आदेश के समय प्रवृत्त अनुमन्य वेतनमानों का विवरण परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं" पढ़ा जायेगा।
11. मूल नियमावली के नियम 23 के स्थान पर "(1) फण्डामेन्टल रूल्सके किसी प्रतिकूल उपलब्ध होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और जहां विहितहो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो। (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकारीके अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्ट रूल्स द्वारा विनियमित होगा। (3) ऐसे व्यक्तिका जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों के द्वारा विनियमित होगा" पढ़ा जायेगा।
12. मूल नियमावली के नियम 4(2) एवं 22(2) के साथ गठित परिशिष्ट "क" के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रख दिया जायेगा:—

परिशिष्ट "क"
(नियम 4(2) एवं 22(2) देखिए)

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों का विवरण			अभ्युक्ति
			स्थाई	अस्थाई	योग	
1.	उप निदेशक, उद्योग	10000-325-15200	2	—	2	
2.	महा प्रबन्धक	10000-325-15200	5	—	5	
3.	प्रभारी महा प्रबन्धक	8000-275-13500	8	—	8	
4.	सहायक निदेशक	8000-275-13500	6	—	6	
5.	प्रबन्धक	8000-275-13500	18	—	18	

13. मूल नियमावली के नियम 3(क), 5 एवं 8 के साथ पठित परिशिष्ट "ख" के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रख दिया जायेगा:—

परिशिष्ट "ख"
(नियम 3(क), 5 एवं 8 देखिए)

क्र. सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं		नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्ति
			शैक्षिक अर्हताएं	अनुभव		
1.	उप निदेशक जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं:- (1) उप निदेशक (2) महाप्रबन्धक	परिशिष्ट "क" के क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से जो व्यक्ति नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में स्थानापन्न सेवा सम्मिलित करते हुए सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो सरकार द्वारा जो व्यक्ति जो परिशिष्ट "क" के क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करके पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।	-	-	राज्यपाल	
2.	सहायक निदेशक जिसमें	(एक) 50 प्रतिशत पद प्रतियोगिता परीक्षा के	अनिवार्य- भारत में	-	राज्यपाल	

	<p>निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे:- (क) सहायक निदेशक, उद्योग (ख) प्रभारी महा प्रबन्धक (ग) प्रबन्धक (घ) सहायक निदेशक, हथकरघा</p>	<p>आधार पर उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (दो) 41 प्रतिशत पद उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक प्रबन्धक एवं सांख्यिकीय सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श पर पदोन्नति द्वारा 9 प्रतिशत पद उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श पर पदोन्नति द्वारा</p>	<p>विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता अधिमानी-व्यवसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।</p>			
--	---	---	--	--	--	--

07 नवम्बर, 2002 ई.

संख्या 3473/2002/479-उद्योग/2002-चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक और समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगी:—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(क) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जायेगा।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां-जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. मूल नियमावली के नियम 3 (ग) में वाक्यांश "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के स्थान पर "चयन समिति" पढ़ा जायेगा। चयन समिति का गठन उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 1998 में उल्लिखित नियम के अनुसार किया जायेगा।

4. मूल नियमावली के नियम 10 में वाक्यांश "बत्तीस वर्ष" के स्थान पर "पैंतीस वर्ष" पढ़ा जायेगा।

5. मूल नियमावली के नियम 15 (1) में शब्द "आयोग" के स्थान पर "नियुक्ति प्राधिकारी" शब्द रख दिया जायेगा।

6. मूल नियमावली के नियम 15 (1) के अन्त में वाक्यांश "तथा प्राप्त आवेदन पत्र चयन समिति को उपलब्ध कराये जायेंगे" जोड़ दिया जायेगा।

7. मूल नियमावली के नियम 15 (2) एवं (3) में शब्द "आयोग" के स्थान पर "चयन समिति" शब्द रख दिया जायेगा।

8. मूल नियमावली के नियम 3 (क), 5, 8 एवं 22 (2) के साथ पठित परिशिष्ट के स्थान पर इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" रख दिया जायेगा।

07 नवम्बर, 2002 ई.

संख्या 3474/2002/479-उद्योग/2002-चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक और समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगी:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(क) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जायेगा।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1982 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां-जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. मूल नियमावली के नियम 4 (2) के नीचे वर्तमान तालिका के स्थान पर निम्न तालिका रख दी जायेगी:-

उद्योग निदेशालय/जनपद स्तरीय कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों का विवरण		
			स्थाई	अस्थाई	योग
	(अ) उद्योग निदेशालय:				
1.	कार्यालय अधीक्षक सह कन्सोल ऑपरेटर	5500-9000	1	-	1

2.	वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल ऑपरेटर	5500-9000	1	-	1
3.	कार्यालय अधीक्षक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	5000-8000	2	-	2
4.	लेखाकार	5000-8000	3	-	3
5.	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-6000	10	-	10
6.	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-6000	4	-	4
7.	कनिष्ठ सहायक-टंकक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	6	-	6
	(ब) जिला स्तरीय कार्यालय (जिला उद्योग केन्द्र):				
8.	प्रधान लिपिक	4500-7000	13	-	13
9.	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-6000	13	-	13
10.	लेखा लिपिक	4000-6000	13	-	13
11.	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-6000	18	-	18
12.	कनिष्ठ सहायक-टंकक लिपिक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	44	-	44

4. मूल नियमावली के नियम 5 के साथ "सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी" के पश्चात् दिये गये पदों के विवरण के स्थान पर निम्न विवरण पढ़ जायेगा:-

उद्योग निदेशालय/जनपद स्तरीय कार्यालय

क्र.सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत
1.	कार्यालय अधीक्षक सह कन्सोल ऑपरेटर	विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर में से पदोन्नत द्वारा
2.	वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल ऑपरेटर	विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त आशुलिपिक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर में से पदोन्नत द्वारा
3.	कार्यालय अधीक्षक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त प्रधान लिपिक में से पदोन्नति द्वारा
4.	लेखाकार	स्थाई रूप से नियुक्त लेखा लिपिक, जिसकी लेखा संवर्ग में मूल नियुक्ति कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर हुई हो तथा शैक्षिक योग्यता वाणिज्य विषय से इण्टरमीडिएट हो, में से पदोन्नति द्वारा परन्तु उपर्युक्त पदधारकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त प्रधान लिपिक, को सम्मिलित करते हुए, पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र का विस्तार प्रशासनिक विभाग/कार्मिक विभाग की अनुमति से किया जा सकता है।
5.	प्रधान लिपिक	विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/लेखा लिपिक में से पदोन्नति द्वारा

6.	वरिष्ठ सहायक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक-टंकक लिपिक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री आपरेटर्स में से पदोन्नति द्वारा
7.	लेखा लिपिक	विभाग में स्थाई रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक-टंकक लिपिक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री आपरेटर्स में से पदोन्नति द्वारा
8.	आशुलिपिक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा
9.	कनिष्ठ सहायक-टंकक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय, लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा परन्तु उपर्युक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 15 प्रतिशत तक रिक्तियां समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती हैं।

5. मूल नियमावली के नियम 8 के वाक्य "सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिया गया है" के बाद दिये गये पदों के विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण पढ़ा जायेगा:-

उद्योग निदेशालय/जपद स्तरीय कार्यालय

- (1) कनिष्ठ सहायक-टंकक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
- (एक) समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 में निहित अर्हता और
- (दो) हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति और
- (तीन) कम्प्यूटर ऑपरेटिंग एवं डाटा इन्ट्री का ज्ञान (एम.एस. वर्ड, एक्सल एवं पॉवर प्वाइन्ट में दक्षता)
- (2) आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण
- (दो) हिन्दी आशुलिपिक और टंकण में क्रमशः 80 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति। अन्य बातों के समान होने पर अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण भी जानने वाले अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी।
- (तीन) कम्प्यूटर ऑपरेटिंग एवं डाटा इन्ट्री का ज्ञान (एम.एस. वर्ड, एक्सल एवं पॉवर प्वाइन्ट में दक्षता)।

6. मूल नियमावली के नियम 10(1) एवं (2) के स्थान पर "सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्षि की आयु उत्तरांचल सरकार द्वारा लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्षियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय" पढ़ा जायेगा।
7. मूल नियमावली के नियम 15 में उल्लिखित शब्द "नियमावली 1975" के स्थान पर "नियमावली 1985" पढ़ी जायेगी।
8. मूल नियमावली के नियम 17 (1) के स्थान पर निम्नवत् नियम रख दिया जायेगा:-
"सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी:-
(क) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष
(ख) उप निदेशक (कार्मिक) उद्योग सदस्य
(ग) निदेशक उद्योग द्वारा नामित सदस्य
अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी
9. मूल नियमावली के नियम 18 में वाक्य "सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे" के बाद दिये गये पदों के विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण पढ़ा जायेगा:-

उद्योग निदेशालय/जनपद स्तरीय कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी
1.	कार्यालय अधीक्षक सह कन्सोल ऑपरेटर	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल
2.	वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल ऑपरेटर	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल
3.	कार्यालय अधीक्षक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल
4.	लेखाकार	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल
5.	प्रधान लिपिक	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल
6.	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	अधिष्ठान के संयुक्त निदेशक, उद्योग (कार्मिक), उत्तरांचल
7.	लेखा लिपिक	अधिष्ठान के संयुक्त निदेशक, उद्योग (कार्मिक), उत्तरांचल
8.	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	अधिष्ठान के संयुक्त निदेशक, उद्योग (कार्मिक), उत्तरांचल
9.	कनिष्ठ सहायक-टंकक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	अधिष्ठान के संयुक्त निदेशक, उद्योग (कार्मिक), उत्तरांचल

10. मूल नियमावली के नियम 22 (1) के स्थान पर "उत्तरांचल उद्योग विभाग लिपिक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आधार पर इस संवर्ग में विद्यमान समस्त पदों की उत्तरांचल राज्य

स्तरीय संयुक्त वरिष्ठता सूची समय-समय पर संशोधित ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 1991 के प्राविधानों के तहत उद्योग निदेशक, उत्तरांचल द्वारा रखी जायेगी" पढ़ा जायेगा।

11. मूल नियमावली के नियम 23 (2) के स्थान पर "उत्तरांचल उद्योग विभाग लिपिक वर्ग में वर्तमान प्रवृत्त वेतनमाख्न नीचे दिये गये हैं" पढ़ा जायेगा:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	कार्यालय अधीक्षक सह कन्सोल ऑपरेटर	5500-175-9000
2.	वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल ऑपरेटर	5500-175-9000
3.	कार्यालय अधीक्षक सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	5000-150-8000
4.	लेखाकार	5000-150-8000
5.	प्रधान लिपिक	4500-125-7000
6.	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-100-6000
7.	लेखा लिपिक	4000-100-6000
8.	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-100-6000
9.	कनिष्ठ सहायक-टंकक सह कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	3050-75-3950-80-4590

आज्ञा से,

(एस. कृष्णन)
प्रमुख सचिव।